# राजद समाचार

आजादी, समानता और भाईचारा

राष्ट्रीय जनता दल का मासिक मुखपत्र

अंक–40 जून, 2025 सहयोग राशि–40 रुपये


## इस बार


| | |
|---|---|
| *पार्टी गतिविधियां* | |
| राजद राज्य परिषद् की कार्यवाही– डॉ. दिनेश पाल | 03 |
| कर्पूरी जी की धारा को लालू जी ने संरक्षित किया– मंगनीलाल मंडल | 04 |
| तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल का आगाज | 10 |
| पाल महासम्मेलन की कार्यवाही– लंकेश कुमार | 11 |
| *सामाजिक राजनीतिक मुद्दे* | |
| पीड़िता की मौत के बहाने खुली सरकारी तंत्र की पोल– कंचनमाला | 18 |
| लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव... तेजस्वी प्रसाद यादव | 20 |
| डॉ. अम्बेडकर के मान-अपमान की असलियत– हेमंत कुमार | 22 |
| अफरोज की गिरफ्तारी बिहार में भगवा आतंक... साकिब अशरफी | 24 |
| आखिर इस युद्ध से देश को क्या मिला– संजय पराते | 27 |
| *श्रद्धांजलि* | |
| न्गुगी वा थ्योंगो : देशज अस्मिता की....आवाज– रामनरेश यादव | 29 |
| डॉ. तैयब हुसैन : सांस्कृतिक वैचारिकी से पूर्ण लेखक–जितेन्द्र कुमार | 31 |
| आरक्षण पर आक्रमण और शिक्षा– तैयब हुसैन | 33 |
| *जन्मदिन पर* | |
| लालू प्रसाद के अनोखे अंदाज– जगदीश यादव | 36 |
| *कवि का पन्ना* | |
| पार्वती तिर्की | 40 |



**सम्पादक**

अरुण आनंद

**सहयोग**

लारैब अकरम/ डॉ. दिनेश पाल/ साकिब अशरफी

मंगनीलाल मंडल

प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-01 द्वारा प्रकाशित एवं वितरित

राजद समाचार की ईमेल आईडी

samacharrjd@gmail.com


## गरीब, वंचितों को मतदान से बेदखल करने की साजिश

भारत के निर्वाचन आयोग ने एक शाही फरमान जारी कर कहा है कि बिहार में अब वोटरों का एक गहन पुनरीक्षण कार्य एक महीने से भी कम समय में किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो यह कार्य बिहार के साथ ही असम, केरल, बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी किया जाना है। आगे इसी तरह के गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरे देश भर में किये जाएंगे। बिहार सहित इन उपर्युक्त 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भाजपा इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के बहाने अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। उसकी इस रणनीति में सी.बी.आई, ईडी और भारत की अन्य जांच एजेंसियों के साथ ही चुनाव आयोग भी उनका एक नया अनुसांगिक संगठन बन गया है। ऐसा करके वह बहुसंख्यक वोटरों को उनके बुनियादी वयस्क मताधिकार से वंचित करना चाहती है ताकि बिहार में उनकी चिर आकांक्षित सत्ता लिप्सा पूरी की जा सके। भारत के नागरिकों को मताधिकार तो आजादी के बाद ही मिल गया था, लेकिन 1990 के पहले तक बिहार के दलित, अल्पसंख्यक और गरीब पिछड़े तबकों को वोट नहीं देने दिया जाता था। वामपंथी और मंडल उभार के कड़े संघर्षों के बाद बिहार में लालू प्रसाद के सत्तासीन होने के बाद लोगों को यह अधिकार मिला, जिसे भाजपा एक ही झटके में खत्म कर देने पर आमादा है।

बिहार में अभी चुनाव होने हैं और यहां की जनता में 20 वर्षों के एनडीए के शासन से पूरी तरह मोहभंग की स्थिति है। नौकरशाही का संगठित लूट तंत्र, दिन दहाड़े राजधानी पटना में अपराधी-माफियाओं का बढ़ता तांडव और राज्य की संवैधानिक संस्थाओं का सामूहिक पतन–यही इस सरकार की उपलब्धि रही है जिसे इन 20 वर्षों में वह लालू प्रसाद के 'जंगलराज' के छद्म नैरेटिव से प्रायोजित तरीके से इनकाउंटर करती रही है। लेकिन इस बार जनता में उनका यह नैरेटिव काम नहीं आ रहा। 'जंगलराज' और 'परिवारवाद' के जिन हथियारों से एनडीए अबतक राजद और महागठबंधन में शामिल घटक दलों को कठघरे में खड़ी करती रही थी, अब वह स्वयं नाना तरह के आरोपों में गर्क

हो चुकी है। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने वर्षों से निष्क्रिय पड़े आयोगों और निगमों को सक्रिय किया। उसकी नियुक्तियों में जिस तरह से बिहार के एनडीए के घटक दलों के नेताओं के दामादों को बैठाया गया, वह परिवारवाद अब 'दामादवाद' में शिफ्ट हो गया है। इस प्रसंग को लेकर ढेर सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसपर तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह तंज कसा कि एनडीए का मतलब नेशनल दामोद आयोग। नेता प्रतिपक्ष के इस आरोप की कोई काट भाजपा आइटी सेल, उनकी व्हाट्अप यूनिवर्सिटी और मीडिया के पास नहीं है जिससे कि उनका यह छद्म बेपर्द होने से रोका जाए। सरकार की वर्षों की नाकामी जनता जान चुकी है। भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से जनता के इसी असंतोष को कुंद करने के लिए बिहार में वोटरों का गहन पुनरीक्षण करवाने का यह चाल चल रही है ताकि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में एनडीए के 20 सालों के कुशासन के खिलाफ महागठबंधन दलों के चल रहे आंधी तूफान पर विराम लगाया जाए।

वार्षिक पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण और संक्षिप्त पुनरीक्षण—ये तीन मुख्य कार्यक्रम चुनाव आयोग के एजेंडे में वर्षों से शामिल रहे हैं। रोजी, रोजगार के कारण पलायन और विवाह आदि कारणों से लोगों के निवास स्थान परिवर्तन और नये वयस्क मतदाताओं के नाम जोड़ने, किसी के मर जाने के बाद भी उनका नाम नहीं हटाये जाने या किसी का नाम दो जगह शामिल होने और अवैध नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल कर लेने के अलावे भी अन्य और कई तरह की गड़बड़ी की स्थिति में आयोग इन विहित प्रक्रियाओं के द्वारा चुनाव को पारदर्शी बनाता रहा है। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं की अपनी एक समय सीमा होती है और आयोग सभी दलों को विश्वास में लेकर इन कार्यक्रमों को निष्पादित करता रहा है। दिसम्बर 2024 और जनवरी 2025 तक चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा की, विभिन्न समूहों के साथ लगभग 4 सौ मीटिंगे की, राजनीतिक दलों से सम्पर्क किया, लेकिन किसी को भनक भी नहीं लगी और अचानक 24, जून को निर्णय ले लिया और 25, जून को नोटिफिकेशन भी हो गया। 25 दिनों के अंदर गहन पुनरीक्षण का यह निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया, यह समझ से परे है। बिहार जैसे 8 करोड़ मतदाताओं की आबादी वाले राज्य में निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर सत्यापन के लिए जो समय और प्रक्रिया अपनाई गई है वह इतनी कम अवधि में संपन्न हो पाएगा इसमें संदेह है। आयोग ने 22 साल पहले ऐसा पुनरीक्षण कार्य किया था, जिसे पूरा होने में 2 साल लगे थे। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा वयस्क नागरिकों से 1987, 2003 और 2024 के पूर्व के ऐसे प्रमाण मांगे जा रहे हैं, जिन्हें दे पाना बहुसंख्यक आबादी के लिए कठिन है। नई मतदाता सूची के सत्यापन के लिए जो 11 पैरामीटर बनाये गये हैं, उन प्रमाण पत्रों को 'खास' लोग ही हासिल कर सकते हैं, वह 'आम' लोगों के बस की बात नहीं है। आयोग द्वारा नागरिकों से ऐसे दुर्लभ दस्तावेजों की मांग की गई है जो गरीबों के पास हैं ही नहीं। अगर वे नौकरीशुदा नहीं हैं तो चाहकर भी उसे हासिल नहीं कर सकते। बिहार में कितने लोगों को नौकरियां हैं? आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा कार्ड यहां के नागरिकों के लिए सहज उपलब्ध प्रमाण रहे हैं, लेकिन आयोग इसे प्रामाणिक नहीं मानता, उसके लिए वर्षों पहले मां, पिता का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। आधार, मनरेगा और राशन कार्ड को मान्य नहीं मानना और वर्षो पूर्व जन्मे मां पिता का जन्म प्रमाण पत्र खोजना यह आम नागरिकों के लिए सबसे अधिक परेशानी में डालनेवाला निर्णय है। बिहार के अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़े गरीबों को वोट के अधिकार से वंचित करने का यह भाजपा का यह हिडेन एजेंडा है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है, समय रहते अगर इसे स्थगित नहीं किया गया तो यहां की एक बड़ी आबादी वोट के अधिकार से वंचित कर दी जाएगी। यह सुधार के नाम पर देश को विखंडित करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वर्षों पहले जन्मे मां-पिता का जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र कितने लोग दे पाएंगे, कहां से दे पाएंगे? यह— सीधे-सीधे नागरिकों को अपने ही देश में निर्वासित करने की गहरी साजिश का हिस्सा है।

बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां करोड़ों की संख्या राज्य से बाहर पलायन करने वालों की है। यहां से गरीब, मजदूर और युवाओं की एक बड़ी तादाद रोजी, रोजगार और पढ़ाई के लिए हर साल राज्य से बाहर जाती है। क्या यह संभव है 25 दिन में वे घर आ जाएंगे और वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ जाएगा? चुनाव आयोग की अगर यही हठधर्मिता रही तो उनका नाम कटना ही है? इस देश में जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, जिनका जन्म अस्पताल में नहीं हुआ, उनके पास एक ही तो अधिकार था, वोट देने का, आज यह फासीवादी सरकार उन्हें उस वोट के अधिकार से भी वंचित करने का कुचक्र रच रही है। बैकडोर से यह एन.आर.सी ही है। भारत के 77 साल के संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मतदाता सूची बनाने की जवाबदेही राज्य द्वारा अमेरिका की तर्ज पर यहां के नागरिकों पर चस्पां कर दी गई है। अभी तक वोटर आईडी बनाने की जवाबदेही राज्य एजेंसियों की होती थी। आयोग के इस फैसले से भारत के संविधान की बुनियाद कमजोर हुई है इसलिए आयोग के इस निर्णय का पुरजोर विरोध होना चाहिए।

❖

कतिपय कारणों से राजद समाचार का नवम्बर 2024 से मई 2025 तक का अंक स्थगित रहा। लेकिन जून 2025 से यह पुनः प्रारंभ हो रहा है। पाठकों से आग्रह है कि आप अपनी प्रतिक्रिया लेखन और पाठकीय दोनों माध्यमों से पहुंचाते रहें ताकि हम इसे और बेहतर स्वरूप में नियमित रूप से निकालते रहें।

**अरुण आनंद**

■